न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 164/2019

1. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जिला झुंझुनू।

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र श्री दुलीचन्द मिश्रा वार्ड नम्बर 8 स्पेशल मौहल्ला खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2. श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री केशर देव शर्मा वार्ड नम्बर 8 खेतड़ी जिला झुंझुनू।

—— ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 एतद् पश्चात "एक्ट" से संबोधित किया गया है ऋणी/जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत।

——

उपस्थितः–

1 बैंक प्रतिनिधि श्री प्रशान्त कुमार झा (बैंक ऑफ बड़ौदा) –........... प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 16.10.2019

प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को कुल रूपये 4,00,000/– की ऋण सुविधा दिनांक 01.03.2014 को टर्म लोन (हाउसिंग लोन) के बाबत उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणीयो/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पतियों के साथ श्री प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र श्री दुलीचन्द मिश्रा की पट्टा नम्बर 824, वार्ड नम्बर 08 स्पेशल मौहल्ला खेतड़ी जिला झुंझुनू स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 83.41 वर्गगज) को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 10.09.2018 को एन.पी. ऐ. घोषित कर दिया गया व ऋणी के ऋण खाते में रूपये 3,99,475.54/– दिनांक 21.12.2018 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 10.09.2018 को एन.पी.ऐ. घोषित होने के कारण "एक्ट" की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 21.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न ही बंधकशुदा संम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि रूपये 3,99,475.54/– दिनांक 21.12.2018 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित सम्पति का कब्जा व सम्बन्धित डॉक्यूमेन्टस का कब्जा प्रार्थी बैंक को

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

सूपूर्द करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारू रूप से विक्रय एवं अंतरण (निलामी) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति (अचल सम्पति :– श्री प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र श्री दुलीचन्द मिश्रा की पट्टा नम्बर 824, वार्ड नम्बर 08 स्पेशल मौहल्ला खेतड़ी जिला झुंझुनू स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 83.41 वर्गगज) का पजेशन प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू